मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी नियम, १९७३

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक १४ मार्च १९७३ में प्रकाशित

म. प्र. आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा
पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड
भोपाल

मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा

व्यवसायी अधिनियम १९७० (क्रमांक ५ सन् १९७१) की धारा ४२ उपधारा १

क्र. १०-२-७३-४-सत्रह-मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, १९७० (क्रमांक ५, सन् १९७१), की धारा ४२ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शिासन एतद् द्वारा, निम्नलिखित नियम, जिन्हें उक्त धारा की उपधारा (१) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, बनाता है अर्थात :–

नियम

अध्याय एक–प्रारंभिक

१ संक्षिप्त नाम–ये नियम मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी नियम, १९७३ कहलायेंगे ।

२ परिभाषाएं–इन नियमों में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से तात्पर्य मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, १९७० (क्रमांक ५, सन् १९७१) से है;

(ख) "निर्वाचन पदाधिकारी" से तात्पर्य अधिनियम की धारा २० की उपधारा (१) के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार से है;

(ग) "प्रारूप" से तात्पर्य इन नियमों से संलग्न प्रारूप से है;

(घ) "संचालक" से तात्पर्य मध्यप्रदेश चिकित्सा सेवा संचालक से है;

(ङ) अधिनियम में प्रयुक्त उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जिन्हें कि इन नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है, वही अर्थ होगा जो कि उन्हें अधिनियम में समनुदेशित किया गया है.

अध्याय दो--बोर्ड के लिए निर्वाचन

३ अध्यक्ष का निर्वाचन–(१) अधिनियम की धारा ४ के अधीन सदस्यों का नाम निर्देशन तथा निर्वाचन पूर्ण हो जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, संचालक, अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु तारीख, स्थान तथा समय निश्चित करेगा और तदुपरांत निर्वाचन पदाधिकारी समस्त सदस्यों को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उपस्थित होने तथा अध्यक्ष का निर्वाचन करने हेतु तद्नुसार सूचना जारी करेगा.

(२) अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु सम्मिलन की अध्यक्षता संचालक करेंगे.

(३) इस प्रकार नियत तारीख को १२ बजे मध्यान्ह पूर्व किसी भी समय कोई सदस्य निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारी को एक ऐसा नाम निर्देशन पत्र परिदत्त करते हुए जिस पर कि उसके द्वारा प्रस्तावक के रूप में तथा किसी तीसरे सदस्य द्वारा समर्थक के रूप में हस्ताक्षर किए गए हों और जिसमें नाम निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम कथित करते हुए तथा यह कथित करते हुए कि प्रस्तावक ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि ऐसा व्यक्ति यदि उसका निर्वाचन हुआ, तो अध्यक्ष के रूप में सेवा करने के लिए रजामंद है किसी अन्य सदस्य का नाम निर्देशन कर सकेगा.

(४) निर्वाचन के लिए नियत तारीख को संचालक, सदस्यों को नाम निर्दिष्ट सदस्यों के नाम, उनके प्रस्तावकों तथा समर्थकों के नामों के साथ पढ़ कर सुनायेगा और यदि केवल एक ही सदस्य इस प्रकार नाम निर्दिष्ट किया गया हो, तो उस सदस्य को अध्यक्ष के रूप में सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित कर देगा और यदि एक से अधिक सदस्य इस प्रकार नाम निर्दिष्ट किये गये हों, तो सदस्य अध्यक्ष का निर्वाचन मतपत्र द्वारा करने हेतु अग्रसर होंगे.

(५) जहां दो से अधिक सदस्य नाम निर्दिष्ट किये गये हों वहां प्रथम मतदान में यदि किसी भी सदस्य को अन्य उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किये गये कुल मतों से अधिक मत प्राप्त न हों, तो उस सदस्य को जिसने कम से कम मत प्राप्त किये हों, निर्वाचन से अपवर्जित करते हुए मतदान चालू रहेगा उन उम्मीदवारों को जिन्हें प्रत्येक मतदान में मतों की कम से कम संख्या प्राप्त हो, निर्वाचन से तब तक अपवर्जित किया जायेगा जब तक कि किसी एक

उम्मीदवार को अन्य शेष उम्मीदवारों की कुल मत संख्या से अधिक मत प्राप्त न हो जाय और यथास्थिति ऐसे किसी उम्मीदवार को, जिसने अन्य उम्मीदवारों से अधिक मत प्राप्त किए हों या जिसने शेष उम्मीदवारों के कुल मतों से अधिक मत प्राप्त किये हों, अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित घोषित किया जायेगा.

(६) जहां किसी मतदान में दो या अधिक उम्मीदवार को एक समान मतों की संख्या अधिप्राप्त हो और किसी एक को उपनियम (५) के अधीन निर्वाचन से अपवर्जित किया जाना हो तो अवधारण पर्ची डालकर किया जायेगा.

(४) उपाध्यक्ष का निर्वाचन—उपाध्यक्ष का निर्वाचन, अध्यक्ष द्वारा नियत किये दिनांक को किया जायेगा और नियम ३ में विहित प्रक्रिया यथोचित परिवर्तनों सहित उपाध्यक्ष के निर्वाचन को भी लागू होगी.

५. निर्वाचक नामावलियों की तैयारी.—(१) अधिनियम की धारा ४ के प्रयोजन के लिये निर्वाचन पदाधिकारी प्रत्येक राजस्व आयुक्त संभाग के लिए प्ररूप एक में निर्वाचक नामावली तैयार करेगा जिसमें संभाग में निवास या व्यवसाय करने वाले समस्त रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों के नाम अन्तर्विष्ट होंगे, इस प्रकार तैयार की गई निर्वाचक नामावली निर्वाचन से कम से कम दो मास पूर्व एक ऐसी सूचना के साथ मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित की जायेगी जिसमें यह कथन किया गया हो कि उक्त निर्वाचक नामावली में की प्रविष्टियों या उसमें की किसी त्रुटि से संबंधित कोई आपत्ति निर्वाचन पदाधिकारी को उसके कार्यालय में सूचना में विनिर्दिष्ट किये गये दिनांक को या उसके पूर्व की जा सकेगी.

(२) किसी ऐसे चिकित्सा व्यवसायी के मामले में, जो मध्यप्रदेश में निवास न कर रहा हो, उसका नाम उस राजस्व आयुक्त संभाग की निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट किया जायेगा जिसमें कि वह मूलतः व्यवसाय कर रहा था.

(३) किसी भी चिकित्सा व्यवसायी का नाम एक से अधिक राजस्व आयुक्त संभाग की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं किया जायेगा.

६. आपत्तियों की सुनवाई.—उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् इस प्रकार से प्राप्त आपत्तियों पर विचार किया जायगा और निर्वाचक नामावलियों को अधिनियम के अधीन बनाये रखे गये वैद्य, हकीम तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर के आधार पर पुनरीक्षित किया जायेगा और अंतिम निर्वाचक नामावलियों को अध्यक्ष इस निमित्त नियत किये गये दिनांक को या उसके पश्चात् "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित करायेगा तत्पश्चात इन निर्वाचक नामावलियों को अंतिम तथा निश्चायक समझा जावेगा.

७ नाम निर्देशन–(१) कोई भी चिकित्सा व्यवसायी जिसका नाम किसी राजस्व आयुक्त के संभाग की निर्वाचक नामावली में हो और जो अधिनियम की धारा ५ के अधीन अनर्हित न हुआ हो, राजस्व आयुक्त संभाग के लिए उम्मीदवार के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जा सकेगा।

(२) ऐसा नाम निर्देशन प्ररूप दो में नाम निर्देशन पत्र द्वारा किया जायगा जिसका प्रदाय किसी निर्वाचक को, जो उसके लिये आवेदन करे, निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(३) प्रत्येक नाम निर्देशन-पत्र दो निर्वाचकों द्वारा एक प्रस्तावक के रूप में तथा दूसरा समर्थक के रूप में हस्ताक्षरित किया जायगा परन्तु कोई भी निर्वाचक एक से अधिक नाम निर्देशन-पत्र को हस्ताक्षरित नहीं करेगा:

परन्तु यह और भी कि यदि एक ही निर्वाचक द्वारा एक से अधिक नाम निर्देशन-पत्र हस्ताक्षरित किये गये हों तो निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रथम प्राप्त किया गया नाम निर्देशन-पत्र, यदि अन्यथा वह नियमानुकूल हो, तो विधिमान्य माना जावेगा और यदि एक ही निर्वाचक द्वारा हस्ताक्षरित किये गये एक से अधिक नाम निर्देशन-पत्र निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा एक साथ ही प्राप्त किये जाये तो ऐसे समस्त नाम निर्देशन-पत्र अविधिमान्य ठहराये जायेंगे।

(४) नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त होने पर निर्वाचन पदाधिकारी उस पर तुरन्त प्राप्ति का दिनांक तथा समय पृष्ठांकित करेगा।

८ निक्षेप–(१) किसी नामनिर्देशन-पत्र के परिदान के समय नाम निर्देशन-पत्र के साथ बोर्ड के पक्ष में भेजे गये ५०.०० रुपये (रुपये पचास) की पोस्ट आफिस मनीआर्डर रसीद संलग्न की जायगी और जब तक नाम निर्देशन-पत्र के साथ ऐसी रसीद संलग्न न हो, तब तक किसी उम्मीदवार को सम्यक रूप से नाम निर्दिष्ट किया गया नही समझा जायगा.

(२) यदि कोई ऐसा उम्मीदवार, जिसने या जिसकी ओर से निक्षेप किया गया हो इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट रीति तथा समय के पूर्व उम्मीदवारी वापिस लेवे या यदि ऐसे उम्मीदवार का नाम-निर्देशन अस्वीकृत कर दिया जाय, तो निक्षेप उस व्यक्ति को लौटा दिया जायगा जिसने कि उसे जमा किया हो और यदि किसी उम्मीदवार की निर्वाचन प्रारम्भ होने के पूर्व मृत्यु हो जाय, तो ऐसा निक्षेप यदि उसने जमा किया हो, उसके विधि प्रतिनिधि को लौटा दिया जायगा या यदि उम्मीदवार द्वारा वह जमा न किया गया हो, तो उस व्यक्ति को लौटा दिया जायगा जिसके कि द्वारा वह जमा कराया गया था.

(३) यदि किसी उम्मीदवार का, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से उपनियम (१) में, निर्दिष्ट निक्षेप किया गया हो निर्वाचन नहीं होता है और उसके द्वारा प्राप्त किये गये मतों की संख्या दिये गये मतों की कुल संख्या के १/८ (एक अष्टमांश) से अनधिक हो, तो निक्षेप बोर्ड को समपहृत हो जायगा.

(४) उपनियम (३) के प्रयोजन के लिए, दिये गये मतों की संख्या वह संख्या समझी जायगी जो रद्द किये गये मतों को छोड़कर गणना किये गये मतों की संख्या हो.

(५) किसी ऐसे उम्मीदवार के संबंध में किया गया निक्षेप चाहे, वह निर्वाचन हुआ हो या न हो यदि उपनियम (३) के अधीन समपहृत न किया गया हो, तो राजपत्र में निर्वाचन परिणामों के प्रकाशन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र यथास्थिति, उम्मीदवार को या उस व्यक्ति को, जिसने कि उसकी (उम्मीदवार की) ओर से निक्षेप किया हो लौटा दिया जायगा.

नामनिर्देशन-पत्रों का नामंजूर किया जाना तथा उसकी सूक्ष्म जांच–(१) ऐसे नाम निर्देशन-पत्र, जो निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उसके कार्यालय में इस प्रयोजन के लिये अध्यक्ष द्वारा नियत किये गये तथा राजपत्र में अधिसूचित किये गये दिनांक को १२ बजे मध्यान्ह तक प्राप्त न हों, नामंजूर कर दिये जायेंगे.

(२) प्रत्येक उम्मीदवार और उसका प्रस्तावक तथा समर्थक इस प्रयोजन के लिये अध्यक्ष द्वारा नियत किये गये दिनांक को तथा समय पर निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में उपस्थित हो सकेगा.

(३) निर्वाचन पदाधिकारी तत्पश्चात् नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म जांच करेगा और या तो अपने स्वविवेक से या की गई आपत्ति पर उन समस्त प्रश्नों को विनिश्चित करेगा जो कि किसी नाम निर्देशन की विधि मान्यता के बारे में उद्भूत हों और ऐसे किसी प्रश्न के बारे में उसका विनिश्चय अन्तिम होगा.

१० नवमनिर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म जांच के पश्चात् प्रक्रिया–(१) यदि किसी राजस्व आयुक्त के संभाग में से सम्यक रूप से नामनिर्दिष्ट किये गये उम्मीदवारों की संख्या एक हो, तो निर्वाचन पदाधिकारी तत्काल उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर देगा.

(२) यदि ऐसे उम्मीदवारों की संख्या एक से अधिक हो, तो निर्वाचक पदाधिकारी उनके नाम तथा पते तत्काल राजपत्र में प्रकाशित करेगा और उनके नाम मत-पत्र प्ररूप तीन में प्रविष्ट करवायेगा.

(३) सम्यक रूप से नामनिर्दिष्ट कोई भी उम्मीदवार मतों की सूक्ष्म जांच तथा गिनती के लिए नियत दिनांक से पूरे दो दिन पूर्व न कि उसके पश्चात् लिखित तथा हस्ताक्षरित किया गया नाम वापिसी-पत्र निर्वाचन पदाधिकारी को भेजकर अपनी उम्मीदवारी वापिस ले सकेगा और तत्पश्चात् उसे यह अनुज्ञेय नहीं होगा कि वह ऐसी नाम वापसी को नामंजूर कर दे.

(४) नाम वापिसी की ऐसी सूचना प्राप्त होने पर निर्वाचन पदाधिकारी नाम वापिसी के ऐसे तथ्य को राजपत्र में प्रकाशित करेगा.

(५) यदि ऐसे किसी उम्मीदवार की, जो सम्यक्रूप से नामनिर्दिष्ट किया गया हो और जिसने उपनियम (३) में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार अपनी उम्मीदवारी वापिसी न ली हो, उम्मीदवारी से नाम वापिसी की सूचना प्रस्तुति के समय के बाद तथा मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व मृत्यु हो जाय, तो निर्वाचन पदाधिकारी, उम्मीदवार की मृत्यु के तथ्य के बारे में समाधान हो जाने पर यह घोषित करेगा कि उक्त निर्वाचन के संबंध में समस्त कार्यवाहियों नवीनतः प्रारंभ की जायेंगी मानों कि वह सभी प्रकार से एक नवीन निर्वाचन है.

(६) इस प्रयोजन के लिए नियत किये गये ऐसे दिनांक को या उनके पूर्व निर्वाचन पदाधिकारी प्रत्येक निर्वाचक को प्ररूप तीन में एक मत-पत्र जो निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजेगा.

परन्तु किसी निर्वाचक द्वारा उसका मतपत्र उसे प्राप्त न होने के कारण कोई निर्वाचन अधिमान्य नहीं होगा.

११ मतदान—(१) ऐसा प्रत्येक निर्वाचक, जो अपना मत अभिलिखित कराने की वांछा करता हो, निर्वाचन पदाधिकारी को, अपना मतपत्र उसमें विहित की गई रीति से अपना मत अभिलिखित किये जाने के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भिजवायेगा.

परन्तु उन मतपत्रों को नामंजूर कर दिया जायगा जो अध्यक्ष द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियत किये गये दिनांक को १२ बजे मध्यान्ह पूर्व तक निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त न किये जाय.

(२) ऐसा कोई निर्वाचक, जिसने अपने मतपत्र की अनवैधानता पूर्वक ऐसी रीति में उपयोग किया हो कि जिससे उसके मतपत्र के रूप में समुचित उपयोग न किया जा सके तो निर्वाचन पदाधिकारी को वह (मतपत्र) परिदन्त किये जाने तथा अनवैधानता के बारे में उसका समाधान हो जाने पर, विकृत पत्र के स्थान पर नवीन मतपत्र अभिप्राप्त कर सकेगा और पूर्ववर्ती मतपत्र को उसके प्रतिपर्ण सहित रद्द किये गये रूप में चिन्हित किया जायगा.

१२ मतपत्रों का सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना–(१) निर्वाचन पदाधिकारी, अपना यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि निर्वाचकों ने अपने हस्ताक्षर प्रतिपर्ण पर कर दिये हैं, प्रतिपर्णों को अलग कर देगा और नियम १५ के अधीन उनका निर्वर्तन होने तक उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा.

(२) निर्वाचन पदाधिकारी सूक्ष्म जांच के समय ऐसे किसी मतपत्र शब्द "नामंजूर किया गया" पृष्ठांकित कर देगा जिसे वह इस आधार पर नामंजूर कर दे कि वह मतपत्र दी गई शर्तों का पालन नहीं करता है.

१३ मतपत्रों की सूक्ष्म जांच – (१) निर्वाचन पदाधिकारी, अध्यक्ष द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियत किये गये दिनांक को १२ बजे मध्यान्ह में अपने कार्यालय में मत पत्रों की सूक्ष्म जांच तथा गणना करेगा.

(२) मतगणना की कार्यवाही की देख रेख हेतु प्रत्येक उम्मीदवार या तो स्वयं उपस्थित रह सकेगा या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत किये गये प्रतिनिधि को भेज सकेगा.

(३) यदि ऐसा निवेदन किया जाय तो निर्वाचन पदाधिकारी मतपत्र न कि उनके प्रतिपर्ण, उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों को दिखायेगा.

(४) यदि किसी मतपत्र के संबंध में इस आधार पर आपत्ति की जाये कि वह उसमें के अनुदेशों का अनुपालन नहीं करता है या निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किसी मतपत्र के नामंजूर किये जाने के बारे में आपत्ति की जाये, तो उसे निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा तुरन्त विनिश्चित किया जायगा जिसका विनिश्चिय अन्तिम होगा.

१४ मतदान का परिणाम—(१) मतों की गणना पूरी हो जाने पर निर्वाचन पदाधिकारी उस उम्मीदवार को जिसे कि अधिकतम मतों की संख्या प्राप्त हुई हो, तत्काल निर्वाचित घोषित कर देगा.

(२) यदि किन्हीं उम्मीदवारों में मतों की समानता पाई जाय और मत की वृद्धि से कोई उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किये जाने का हकदार हो जाय तो उस व्यक्ति का अवधारण, जिसे कि अतिरिक्त मत दिया गया समझा जावे, निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष ऐसी रीति में जैसे कि वह अवधारित करे, पर्ची डालकर किया जायगा.

१५. मतपत्रों का रखा जाना और उनका नाशन—गणना पूरी हो जाने पर तथा उसके द्वारा परिणामों की घोषणा किये जाने के पश्चात् निर्वाचन पदाधिकारी मतपत्रों को और निर्वाचन से संबंधित समस्त अन्य दस्तावेजों की मुहरबंद कर देगा तथा उन्हें छः मास की कालावधि तक रखेगा और उसके बाद उनका नाशन करवायेगा.

१६. निर्वाचित उम्मीदवारों की नामों का प्रकाशन—निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचित उम्मीदवारों के नाम राज्य शासन को, राजपत्र में उसके द्वारा प्रकाशित किये जाने हेतु तुरन्त भेजेगा.

१७. किसी निर्वाचन को वातिल घोषित करने संबंधी राज्य शासन की शक्ति—राज्य शासन अपने स्वविवेक से या की गई आपत्ति पर किसी निर्वाचन को किसी भ्रष्ट तरीके या अन्य पर्याप्त कारण से वातिल घोषित कर सकेगा और निर्वाचकगणों को नवीन निर्वाचन करने हेतु कह सकेगा. इस नियम के अधीन राज्य शासन का विनिश्चय अन्तिम होगा.

१८. राज्य शासन का विनिश्चय अन्तिम होगा—नियम ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ १०, ११, १२ १३, १४, १५, १६ तथा १७ के आशय, निर्वाचन या लागू किये जाने संबंधी उद्भूत होने वाले किसी प्रश्न के बारे में राज्य शासन का विनिश्चय अन्तिम होगा.

तीसरा अध्याय—अपील

१९. अपील की विशिष्टियां—अधिनियम की धारा १९ की उपधारा (२) के खंड (ब) के अधीन किसी व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में या रजिस्टर में किसी प्रविष्टि के लिये जाने बाबत रजिस्ट्रार को विनिश्चय के विरुद्ध अपील लिखित में होगी और उसमें संबंधित व्यक्तियों के नाम उनकी अर्हताएं व दिनांक तथा वे प्राधिकारी जिनसे कि उन्हें प्राप्त किया गया था और अन्य साधान विशिष्टियों के साथ वे आधार भी कथित किये जायेंगे जिस पर कि अपील में दावा किया गया हो.

२०. अपील किसी समिति को निर्दिष्ट की जायगी—अपील प्राप्त होने पर, बोर्ड के सदस्यों में से गठित किसी समिति को विचारार्थ तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट की जायगी.

२१. दस्तावेज मांगने की समिति की शक्ति—समिति को सम्बंधित व्यक्ति से निरीक्षण हेतु मूल उपाधि उपाधिपत्र या अनुज्ञप्ति और ऐसे अन्य दस्तावेजों या मौखिक साक्ष्य की, जिसे कि वह (समिति) आवश्यक समझे, निरीक्षण हेतु मांगने की शक्ति होगी.

२२. समिति बोर्ड को रिपोर्ट देगी – अपनी जांच पूरी कर लेने के पश्चात समिति अपनी ऐसी सिफारिशें, जिन्हें कि वह करना उचित समझे, उन सिफारिशों के कारणों को समाविष्ट करते हुए एक रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करेगी.

२३. बोर्ड को अपील तथा रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना–अपील, उस पर समिति की रिपोर्ट तथा मामले से संबंधित समस्त अन्य दस्तावेजों बोर्ड के समक्ष उसके आगामी सम्मिलन में प्रस्तुत की जायगी/किये जायेंगे.

२४. अपील की सुनवाई का दिनांक बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जायगा–वह दिनांक, जिसको कि बोर्ड द्वारा अपील पर विचार किया जायगा, संबंधित व्यक्तियों को अधिसूचित किया जयगा. उन्हें यदि वह ऐसा करना चाहे, अपने मामले का बोर्ड के समक्ष या तो व्यक्तिशः या उनके विधिक प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व करने हेतु अनुज्ञात भी किया जायगा.

चौथा अध्याय–रजिस्ट्रार

२५. नियुक्ति के लिए अर्हता–(१) रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त हेतु मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय की उपाधि प्राप्त होना एक अनिवार्य अर्हता होगी किन्तु इसके अलावा विधि में उपाधी को इस पद पर नियुक्ति हेतु अधिमान्यता दी जायगी.

(२) दूसरी आवश्यक अर्हता—किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेद की परीक्षा में अर्ह कोई व्यक्ति.

(३) इस पद के लिए किसी शासकीय या अशासकीय संस्था में कम से कम पांच वर्षों का प्रशासकीय अनुभव.

२६. रजिस्ट्रार का वेतनमान—(१) रजिस्ट्रार के पद का वेतनमान रुपये २७५–२७५–३००–१५–४०५–द. रो–२०–४२५–२५–४७५ होगा.

(२) राज्य शासन के अधीन समान पदों के मामले में अनुज्ञेय मंहगाई तथा अन्य भत्ते इस पद के लिए भी लागू होंग.

(३) राज्य शासन द्वारा अपने कर्मचारियों को समय-समय पर मन्जूर किये गये मंहगाई तथा अन्य भत्तों के लाभ बोर्ड के कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होंग.

२७. रजिस्ट्रार की नियुक्ति–(१) रजिस्ट्रार की नियुक्ति उपनियम (२) के अधीन गठित की गई समिति द्वारा सिफारिश किये गये ३ व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों की तालिका में से की जायगी परंतु यदि बोर्ड इस प्रकार सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से किसी को भी अनुमोदित न करे या समिति द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्ति या व्यक्तियों

में से बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया व्यक्ति / किये गये व्यक्ति नियुक्ति स्वीकार करने के लिये इच्छुक न हों, तो बोर्ड ऐसी समिति से नवीन सिफारिशों की मांग कर सकेगा.

(२) समिति में बोर्ड का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्य शासन का एक नाम निर्देशित अन्तर्विष्ट होगा.

(३) समिति, उसके द्वारा अनुमोदित किये गये प्रारूप के अनुसार दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर इस पद के लिए आवेदन-पत्र मंगायेगी. जिला नियोजन कार्यालय को भी सूचना दी जायगी.

(४) संयोजक, समिति के अनुमोदन से उम्मीदवारों को, उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये दिनांक, समय तथा स्थान पर साक्षात्कार हेतु बुलायेगी.

२८. सेवा की शर्तें--(१) रजिस्ट्रार की नियुक्ति दो वर्षों की कालावधि के लिये की जायेगी और उसके बाद बोर्ड यदि उसके कार्य से समाधान हो जाय, तो उसे या तो स्थायी कर देगा या परिवीक्षा कालावधि को एक समय में एक वर्ष की कालावधि के लिऐ विस्तारित कर देगा परंतु यदि बोर्ड का उसके कार्य से समाधान न हो तो एक मास की सूचना देने या सूचना के बदले में एक मास का वेतन देने के पश्चात् उसकी सेवायें समाप्त कर सकेगा.

(२) रजिस्ट्रार की सेवायें पेंशन योग्य नहीं होंगी तथा अभिदायी भविष्य निधि द्वारा शासित होगीं.

(३) रजिस्ट्रार ऐसे आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश तथा यात्रा भत्ता आदि के लिये हकदार होगा जो इस प्रवर्ग के शासकीय सेवकों के लिये अनुज्ञेय हो.

(४) सामान्यतः रजिस्ट्रार की अधिवार्षिकी आयु ५५ वर्ष होगी और तत्पश्चात् उसे सेवा निवृत्त कर दिया जायगा परन्तु यदि कोई पदधारी शारीरिक रूप से उपयुक्त हो और बोर्ड द्वारा यह सिफारिश की जावे की ५५ वर्ष के बाद उसकी सेवायें अनिवार्य हैं, तो इस संबंध में बोर्ड को एक संकल्प पारित करना होगा और तब सेवा वृद्धि इस शर्त पर मंजूर की जायेगी कि किसी भी मामले में सेवा वृद्धि ६० वर्ष की आयु के बाद नहीं दी जायगी.

(५) रजिस्ट्रार के विरुद्ध अनुशासनात्मक विषयों के संबंध में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, १९६६ के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे.

अध्याय पांच--व्यवसायियों का रजिस्ट्रीकरण

२९. बोर्ड द्वारा बनाये रखे जाने वाले रजिस्टर का प्ररूप--अधिनियम की धारा २४ के अधीन राज्य के व्यवसायियों का रजिस्टर प्ररूप चार में बनाये रखा जायगा.

३० रजिस्टर का सत्यापन—राज्य के व्यवसायियों के रजिस्टर का सत्यापन अध्यक्ष द्वारा अपने हस्ताक्षर अंकित कर दिया जायगा.

३१ रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पत्र—रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन-पत्र प्ररूप पांच में होगा और उसके साथ ऐसे प्रमाण-पत्र, उपाधि या उपाधि-पत्र का जो कि अधिनियम में रजिस्ट्रीकरण के लिये अनुमोदित हों, राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित प्रति संलग्न होगी ऐसे अन्य प्रमाण-पत्रों की भी जिन्हें कि आवेदन पर विनिश्चय किये जाने के लिये विचार करने हेतु व्यवसायी प्रस्तुत करने की वांछा करे, संलग्न किया जा सकेगा. रजिस्ट्रार ऐसे अन्य प्रमाण-पत्र, प्रशंसा-पत्र आदि भी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो कि वह आवश्यक समझे. मूल प्रमाण-पत्र आदि आवेदन-पत्र के साथ संलग्न नहीं किये जायेंगे किन्तु रजिस्ट्रार किसी आवेदक उन्हें पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा.

३२ फीस का निक्षेप–(१) ऐसे किसी व्यक्ति को जो राज्य के व्यवसायियों क रजिस्टर में अपना नाम अधिनियम की धारा २५ की उपधारा (१) के अधीन प्रविष्ट कराने हेतु आवेदन करे, आवेदन-पत्र के साथ २० रुपये का निक्षेप धनादेश द्वारा करना होगा.

(२) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसका कि नाम राज्य के व्यवसायियों के रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है और जिनसे आयुर्वेद, यूनानी या प्राकृतिक चिकित्सा में कोई उपाधि, उपाधि-पत्र तथा अन्य समान अर्हता प्राप्त की हो, तो वह धारा २५ के अधीन रजिस्ट्रार को धनादेश द्वारा ५ रुपये की फीस के साथ आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर अपनी अतिरिक्त अर्हता रजिस्ट्रीकृत करा सकेगा.

(३) ऐसा कोई व्यक्ति, जो धारा २७ के अधीन अस्थायी क्लीनिक व्यवसायी के रूप में रजिस्ट्रीकरण की वांछा करता है, इस प्रयोजन के लिये सम्बंधित परीक्षा में सफलता का प्रमाण-पत्र संलग्न करते हुए आवेदन कर सकेगा. रजिस्ट्रार, प्रमाण–पत्र के साथ ऐसा आवेदन-पत्र प्राप्ति होने पर एक अस्थायी प्रमाण-पत्र जारी करेगा.

(४) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी के प्रमाण-पत्र खो जाने या नष्ट हो जाने की दशा में संबंधित व्यक्ति, रजिस्ट्रार को ५ रुपये की फीस के साथ एक ऐसा आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगा जो प्रमाण-पत्र खो जाने के बाबत मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित किया गया हो और इस प्रकार प्रमाणीकरण किये जाने पर रजिस्ट्रार दूसरा प्रमाण-पत्र जारी करेगा.

३३ पते में तब्दीली–प्रत्येक व्यवसायी इस बात की सावधानी बरतेगा कि वह उसके पते में की किसी तब्दीली के बारे में रजिस्ट्रार को तुरन्त रिपोर्ट दे और इस संबंध में प्राप्त हुई रजिस्ट्रार की किसी संसूचना का उसे (रजिस्ट्रार को) तुरन्त उत्तर देगा, जिससे कि उसका सही पता राज्य के रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों के रजिस्टर में समुचित रूप से प्रविष्ट किया जा सके.

३४ राज्य के व्यवसायियों के रजिस्टर का प्रकाशन—रजिस्ट्रार के लिये यह बाध-ताकारी होगा कि वह प्रत्येक पांच वर्षों में राज्य के व्यवसायियों के रजिस्टर का प्रकाशन कराये परन्तु यह कि प्रथम प्रकाशन बोर्ड के गठन से तीन वर्ष समाप्त होने के एक सौ बीस दिन पूर्व किया जाना चाहिए. रजिस्ट्रार ऐसी मुद्रित सूची की प्रति कुछ कोरे कागजों के साथ रखेगा, जिनमें कि वह इस वर्ष में अपेक्षित किसी तब्दीली या हटाये जाने संबंधी प्रविष्ट करेगा.

३५ रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र—ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसका कि नाम राज्य के व्यवसायियों के रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया हो, प्रारूप छः में रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकेगा तथा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करने के लिए हकदार होगा. प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन-पत्र प्राप्त होने के दिनांक से ९ मास के भीतर बोर्ड के कार्यालय से जारी किया जायगा. उन व्यक्तियों को, जिनका आवेदन-पत्र नामंजूर किया गया हो, उनके आवेदन-पत्र की नामंजूरी से तीस दिन के भीतर अनुदेश दिये जायेंगे.

३६ रजिस्ट्रीकरण का सबूत—रजिस्टर का अन्तिम संस्करण रजिस्टर का विधिक सबूत होगा परन्तु यह कि यदि किसी व्यक्ति का नाम राज्य के व्यवसायियों के रजिस्टर में मुद्रित न हो और जो रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित किया गया इस बात का प्रमाण-पत्र कि उसका नाम बोर्ड के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत है, पेश कर सक तो वह इस बात का सबूत माना जायगा कि वह (व्यक्ति) एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है.

३७ व्यवसायियों के रजिस्टर में सम्मिलित किय जाने हेतु आवेदन-पत्र—ऐसे व्यक्ति, जो अधिनियम की धारा २८ की उपधारा (२) के अधीन व्यवसायियों की सूची में अपने नाम समाविष्ट करने की वांछा करते हों, ५० रुपये की फीस के साथ प्ररूप सात में रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकेंगे. रजिस्ट्रार आवेदन-पत्र के बारे में अपना समाधान कर देने के पश्चात् उसका नाम व्यवसायियों की सूची में समाविष्ट कर लेगा और उसकी प्रज्ञापना संबंधित व्यक्ति को देगा.

३८ विघटित बोर्ड के व्यवसायियों का रजिस्ट्रीकरण—अधिनियम की धारा ४४ के अधीन विनिर्दिष्ट उन अधिनियमों में से जो कि निरसित किये गये हैं, किसी के भी अधीन रजिस्ट्रीकृत समस्त चिकित्सा व्यवसायियों को बोर्ड की स्थापना के दिनांक को, यदि वे अपेक्षित अर्हता रखते हों, नियम ३५ के अधीन उनक नाम रजिस्ट्रीकृत किये जाने के पश्चात् एक प्रमाण-पत्र दिया जायेगा किन्तु ऐसा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पूर्व उन्हें रजिस्ट्रार को पुराना रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र भेजना होगा.

३९ राज्य के व्यवसायियों के रजिस्टर में से व्यवसायी के नाम का हटाया जाना—रजिस्ट्रार अधिनियम की धारा २१ की उपधारा (४) के अधीन रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों के नामों क हटाये जाने बाबत सूचना उसके लिए लिखित में कारण देते हुए, सर्वाधिक प्रचलित दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करायेगा और यदि छः मास के भीतर ऐसे व्यवसायी से कोई उत्तर प्राप्त न हो, तो रजिस्ट्रार उसका नाम चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर में से हटा देगा.

अध्याय छः–निरसन

४०. निरसन-इन नियमों के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत इन नियमों के तत्स्थानी वे समस्त नियम एतद्द्वारा निरसित किये जाते है.

परन्तु इस प्रकार निरसित किये गये किन्हीं भी नियमों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्यवाही, जब तक कि ऐसी बात या कार्यवाही इन नियमों के किन्हीं भी उपबन्धों से असंगत न हो, इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

प्ररूप–एक

(नियम ५ देखिये)

.....राजस्व आयुक्त संभाग

मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम १९७० की धारा ४ की उपधारा (१) के खण्ड (ग) के अधीन.....,.....राजस्व आयुक्त संभाग में मतदान के लिये अर्ह रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों की सूची.

क्रमांक	उन व्यक्तियों के मामले में जो मतदान के लिए अर्ह हों, रजिस्ट्री-करण क्रमांक	नाम	पिता का नाम	पता
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)

मैं यह प्रमाणित करता हूं कि वे समस्त व्यक्ति, जिनके कि नाम उपरोक्त नामावली में प्रविष्ट किये गये हैं, मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, १९७० के अधीन मतदान के लिये अर्ह हैं.

.....

दिनांक..... निर्वाचन पदाधिकारी

प्ररूप–दो

(नियम ७ देखिये)

नाम निर्देशन-पत्र

मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम १९७० की धारा ४ की उपधारा (१) के खण्ड (ग) के अधीन निर्वाचन.

उम्मीदवार का नाम	पिता का नाम	रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम जिसके लिये नामनिर्देशन किया गया है	पता	प्रस्तावक के हस्ताक्षर पूरे नाम तथा रजिस्ट्रीकरण क्रमांक सहित	समर्थक हस्ताक्षर पूरे नाम तथा रजिस्ट्रीकरण क्रमांक सहित
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)

में, एतद्द्वारा, घोषित करता हूं कि मैं वही व्यक्ति हूं जिसके कि बारे में ऊपर कालम (३) में प्रविष्टिय दी गई हैं और यह कि मैं इस नामनिर्देशन से सहमत हूं.

....

(हस्ताक्षर) उम्मीदवार

टिप्पणी–ऐसे नामनिर्देशन-पत्र जो, दिनांक ....को १२ बजे मध्यान्ह के पूर्व निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा प्राप्त न हो अविधिमान्य होंगे.

प्ररूप–तीन

(नियम १० के उपनियम (२) तथा (६) देखिये)

मतपत्र

प्रतिपर्ण क्रमांक..... ... क्रमांक.....

मतपत्र.....

अधिनियम की धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट किये गये व्यक्तियों द्वारा.....राजस्व आयुक्त संभाग से बोर्ड के लिए एक सदस्य निर्वाचित किया जाना है.

मैं एतद् द्वारा घोषित करता हूं कि मैं वही व्यक्ति हूं जिसका नाम निर्वाचक नामावली में है.	क्रमांक	सम्यकरूप से नामनिर्दिष्ट मत किये गये उम्मीदवार का नाम
		.....
हस्ताक्षरित.....		
नामावली का क्रमांक.....		
निर्वाचन क्षेत्र का नाम		

....

निर्वाचन पदाधिकारी

अनुदेश

१. प्रत्येक निर्वाचक को एक मत होगा.

२. वह उस उम्मीदवार के नाम के सामने, जिसे कि वह अधिमान दे, + चिन्ह लगा कर मत देगा.

३. यदि + चिन्ह एक से अधिक व्यक्तियों के सामने लगाया हो या चिन्ह इस प्रकार से लगाया गया हो कि जिससे वह किस उम्मीदवार के लिये आशयित है इसके बारे में संदेह उत्पन्न हो, तो मतपत्र अविधिमान्य हो जायगा.

४. निर्वाचक, प्रतिपर्ण पर दी गई घोषणा को हस्ताक्षरित करेगा और ऐसे हस्ताक्षरों के बिना मतपत्र अविधिमान्य हो जायेंगे.

५. यदि कोई निर्वाचक एक से अधिक मतपत्र भरता है तो उसके द्वारा अभिलिखित समस्त मतपत्र अविधिमान्य हो जायेंगे.

६. मतपत्र निर्वाचन पदाधिकारी को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे जायेंगे. ऐसे मत–पत्र जो दिनांक.....१२ बजे मध्यान्ह के पूर्व निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त न किये जायें नामंजूर कर दिये जायेंगे.

प्ररूप–चार

(नियम २९ देखिये)

मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड राज्य के व्यवसायियों का रजिस्टर

क्रमांक	नाम	पिता का नाम	अर्हताएं तथा दिनांक जब कि वे अधिप्राप्त की गई हों	फीस
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)

आयु	व्यवसाय का स्थान	रजिस्ट्रीकरण का दिनांक तथा स्थान	रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर	टिप्पणियां
(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)

प्ररूप–पांच

(नियम ३१ देखिये)

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन-पत्र का प्ररूप

दिनांक.....१९९

प्रति,

रजिस्ट्रार,

मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, भोपाल.

निवेदन है कि मेरा नाम आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के व्यवसायियों के लिए बनाये रखे गये राज्य के व्यवसायियों के रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत किया जाय और कृपया मुझे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र दिया जाय.

२. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यक जानकारी नीचे दी गई है :–

उपाधि-पत्रों, प्रमाण-पत्रों और प्रशंसा-पत्रों की राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अभिप्रमाणित प्रतियां इसके साथ संलग्न की गई हैं.

३. धनादेश क्रमांक.....दिनांक.....के द्वारा रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में रुपये २०० भेजे गये हैं.

(१) नाम..... .....

(२) पिता का नाम.....

(३) पता.....

(४) जन्म दिनांक तथा आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जाने के दिनांक को आयु.....

(५) व्यवसाय का स्थान :–

(क) नगर या ग्राम.....

(ख) डाकघर.....

(ग) जिला .....

(६) अर्हताएं तथा उन्हें अभिप्राप्त करने का दिनांक..... .. ..

(७) उस महाविद्यालय या संस्था का नाम जहां से कि उसने परीक्षा उत्तीर्ण की हो..... .....

(८) वह दिनांक जिससे कि आवेदक ने व्यवसाय प्रारम्भ किया हो.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई जानकारी सही है और मैं यह वचन देता हूं कि मैं मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये व्यवसायियों के रूप में अनुसरित किये जाने वाले व्यवसायिक शिष्टाचार सम्बन्धी नियमों का पालन करूंगा.

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप–छः

(नियम ३५ देखिए)

मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, भोपाल.

(मुद्रा)

रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र क्रमांक.....

१. नाम.....

२. पिता का नाम .....

३. पता.....

४. अर्हतायें.....

५. आयु.....

६. व्यवसाय का स्थान.....

७. रजिस्ट्रीकरण का दिनांक..... .. ..

प्रमाणित किया जाता है कि यह मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, भोपाल द्वारा बनाये रखे गये राज्य के व्यवसायियों के रजिस्टर में के ऊपर विनिर्दिष्ट नाम की प्रविष्टि की सत्य प्रतिलिपि है.

.....

रजिस्ट्रार

मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी

चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक

चिकित्सा बोर्ड, भोपाल,

भोपाल.....

दिनांक.....

प्ररूप–सात

(नियम ३७ देखिये)

व्यवसायियों की सूची में नाम समाविष्ट किये जाने हेतु आवेदन-पत्र

प्रति,

रजिस्ट्रार,
मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड,
भोपाल.

आपसे सानुरोध निवेदन है कि आपके द्वारा बनाई गई व्यवसायियों की सूची में मेरा नाम समाविष्ट करें तथा उसकी जानकारी मुझे दें.

२. सूचीकरण हेतु आवश्यक जानकारी एवं सुसंगत प्रमाण-पत्रों की मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित प्रतियां संलग्न हैं :–

३. सूचीकरण फीस के रूप में ५० रुपये धनादेश क्रमांक.....दिनांक..... द्वारा प्रेषित हैं.

(१) नाम..... ... .

(२) पिता का नाम..... .....

(३) पता..... .. ..

(४) जन्म दिनांक तथा आयु.....
(आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जाने के दिनांक को)

(५) व्यवसाय का स्थान :–

(क) शहर या ग्राम.....

(ख) डाकघर.....

(ग) जिला.....

(६) व्यवसाय की कालावधि..... .. ..

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैंने इसके पूर्व रजिस्ट्रीकरण या सूचीकरण हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है. उपरोक्त स्थान पर मैं गत.....वर्षों से व्यवसाय कर रहा हूं.

.....
आवेदक के हस्ताक्षर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पेठिया परमानन्द, उपसचिव.